अमेरिका में घरेलू हिंसा के शिकार आप्रवासियों के लिये उपलब्ध क़ानूनी अधिकारों की जानकारी एवं विवाह-आधारित वीज़ा पर आप्रवास के बारे में तथ्य

उद्देश्य:
आप्रवासी ख़ास तौर पर नाज़ुक स्थिति में होते हैं क्योंकि बहुत से अंग्रेज़ी नहीं बोलते, अक्सर परिवार और मित्रों से दूर होते हैं, और सम्भवत: अमेरिका के क़ानूनों को भी नहीं समझते. इन कारणों से आप्रवासी घरेलू हिंसा के कृत्यों की पुलिस को रिपोर्ट करने या अन्य प्रकार की सहायता लेने की कोशिश करने से अक्सर डरते हैं. इस डर की वजह से बहुते से आप्रवासी दुर्व्यवहारपूर्ण सम्बन्धों में फंसे रहते हैं.

इस पुस्तिका में घरेलू हिंसा के बारे में बताया जायेगा और अमेरिका में आपके क़ानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जायेगी. अंतर्राष्ट्रीय विवाह दलाल नियमन क़ानून (IMBRA) के तहत अमेरिका सरकार के लिये यह ज़रूरी है कि वह अमेरिका आप्रवास कर रहे विदेशी प्रेमी-प्रेमिकाओं और पति-पत्नियों को उनके क़ानूनी अधिकारों और उनके अमेरिकी राष्ट्रिक प्रेमी-प्रेमिकाओं और पति-पत्नियों के अपराधिक या घरेलू हिंसा के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराए. IMBRA का एक लक्ष्य यह भी है कि आप्रवास कर रहे प्रेमी- प्रेमिकाओं और पति-पत्नी को आप्रवास प्रक्रिया के बारे में और अगर उनका सम्बन्ध दुर्व्यवहारपूर्ण बन जाए तो सहायता कैसे प्राप्त की जाए इस बारे में सही जानकरी प्रदान की जाए.

घरेलू हिंसा क्या है?
व्यवहार का ऐसा नमूना घरेलू हिंसा कहलाता है जब पति-पत्नी या अंतरंग साथियोंमें से एक साथी दूसरे साथी को धमकाता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है. दुर्व्यवहार में शारीरिक हानि पहुंचाना, जबरन यौन सम्बन्ध, भावनात्मक छल-कपट (जिसमें अलग-थलग रखना या डांट-डपट शामिल है) आर्थिक और/या आप्रवास सम्बन्धी धमकियां शामिल हैं. जबकि घरेलू हिंसा की ज़्यादातर दर्ज घटनायें पुरुषों द्वारा स्त्रियों या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में हैं, लेकिन पुरुष भी घरेलू हिंसा से पीड़ित हो सकते हैं.

घरेलू हिंसा में यौन प्रहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, तथा अन्य हिंसक अपराध शामिल हो सकते हैं. किसी भी प्रकार के ऐसी लैंगिक गतिविधि जिसके लिये आप राज़ी न हों <u>यौन प्रहार</u> है, चाहे वह पति-पत्नी के बीच ही क्यों न हो, और यह कोई भी कर सकता है. <u>बाल-दुर्व्यवहार</u> में शामिल हैं: शारीरिक दुर्व्यवहार (अत्यधिक दंड सहित ऐसी कोई भी चोट जो दुर्घटनावश न लगी हो) शारीरिक लापरवाही (भोजन, आश्रय, चिकित्सा, अथवा देखरेख उपलब्ध न कराना), यौन दुर्व्यवहार, और भावनात्मक दुर्व्यवहार (धमकियां, प्यार न करना, सहारे और मार्गदर्शन से वंचित रखना).

संयुक्त राज्य अमेरिका में हर परिस्थिति में घरेलू हिंसा, यौन प्रहार, और बाल-दुर्व्यवहार अवैध हैं. अमेरिका में सभी लोगों को (चाहे उनकी जाति, रंग, धर्म, लिंग, आयु, वंश, या आप्रवासी दर्जा कुछ भी हो) क़ानून के तहत दुर्व्यवहार से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त है. घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी व्यक्ति चाहे उनका राष्ट्रिकता या आप्रवास सम्बन्धी दर्जा कुछ भी हो – सहायता की मांग कर सकता है. घरेलू हिंसा का शिकार आप्रवासी, आप्रवास संरक्षणों का पात्र हो सकता है.

यदि आपको अपने घर में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं. इस पुस्तिका का उद्देश्य है अमेरिका के क़ानूनों को समझने में आपकी मदद करना और अगर आपको सहायता की ज़रूरत है तो यह बताना कि आप सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं.

अमेरिका में घरेलू हिंसा पीड़ितों के क़ानूनी अधिकार क्या हैं?
संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी लोगों को, चाहे उनका राष्ट्रिकता या आप्रवास संबंधी दर्जा कुछ भी हो, नागरिक और आपराधिक दोनों क़ानूनों के तहत बुनियादी सुरक्षाओं की गारंटी प्राप्त है. परिवारों पर लागू होनेवाले क़ानून आपको अधिकार प्रदान करते हैं:

- अपने और अपने बच्चे (बच्चों) के लिये सुरक्षा आदेश प्राप्त करने का अधिकार
- पति-पत्नी की सहमति के बिना तलाक़ या क़ानूनी पृथकता प्राप्त करने का अधिकार
- ख़ास वैवाहिक सम्पत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार. तलाक़ के मामलों में आपकी और आपके पति या पत्नी की जो भी संयुक्त सम्पत्ति या वित्तीय सम्पदा है अदालत उसे आपमें बांट देगी.
- अपने बच्चे (बच्चों) को अपने पास रखने और निर्वाह-धन की मांग का अधिकार. 21 वर्ष से कम आयुवाले बच्चों के माता पिता को अक्सर उस बच्चे के लिए निर्वाह धन देना पड़ता है जो उसके पास न रह रहा हो.

पारिवारिक मामलों सम्बन्धी ऐसे वकील से जो आप्रवासियों के साथ काम करता है इस बारे में सलाह करें कि परिवार–क़ानून सम्बन्धी ये विकल्प कैसे आपको प्रभावित या आपकी सहायता कर सकते हैं.

अमेरिकी क़ानून के तहत अपराध का शिकार कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका राष्ट्रिकता या आप्रवास दर्जा कुछ भी हो, सहायता के लिए पुलिस को बुला सकता है या संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकता है.

यदि आप या आपका बच्चा (बच्चे) ख़तरे में है तो 911 पर पुलिस को कॉल करें. पुलिस आपके प्रेमी-प्रेमिका, पति-पत्नी, साथी, या अन्य व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकती है, यदि पुलिस को लगे कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है. आपको चाहिए कि जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, चाहे अतीत में ही हुआ हो, उसके बारे में पुलिस को बताएं और कोई चोट आई हो तो दिखाएं. कोई भी, चाहे उसकी राष्ट्रिकता या आप्रवास दर्जा कुछ भी हो, अपराध की रिपोर्ट कर सकता है.

इसी तरह यदि आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं तो आप संरक्षण आदेश के लिए अदालत में आवेदन दे सकते हैं. अदालत द्वारा जारी संरक्षण-आदेश अथवा निरोध-आदेश आपको प्रताड़ित करने वाले पर आपको, आपके बच्चे(बच्चों) या परिवार के अन्य सदस्यों को फ़ोन करने, सम्पर्क करने, निकट जाने या हानि पहुंचाने पर निषेध लगा सकता है. यदि आपसे दुर्व्यवहार करने वाला संरक्षण-आदेश का उल्लंघन करता है, तो आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, और पुलिस दुर्व्यवहार-कर्ता को गिरफ़्तार कर सकती है. संरक्षण आदेश के लिए आवेदन-पत्र अधिकांश न्यायालयों, पुलिस स्टेशनों, नारी शरण-गृहों और क़ानूनी-सेवा कार्यालयों में उपलब्ध होते हैं.

यदि आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाला आप पर किसी अपराध का आरोप लगाता है तो आपको मूल अधिकार प्राप्त हैं, चाहे आपका आप्रवास या राष्ट्रिकता दर्जा कुछ भी हो, और इनमें शामिल हैं: वकील से बात करने का अधिकार; वकील की उपस्थिति के बिना प्रश्नों का उत्तर न देने का अधिकार; अपनी सफ़ाई में बोलने का अधिकार. यह महत्वपूर्ण है कि आप्रवास वकील और आपराधिक मामलों सम्बन्धी वकील दोनों से बात की जाए.

अमेरिका में घरेलू हिंसा और यौन-प्रहार पीड़ितों के लिए क्या सेवाएं उपलब्ध हैं?

अमेरिका में अपराध के शिकार लोग, चाहे उनका आप्रवास और राष्ट्रिकता दर्जा कुछ भी हो, सरकारी और ग़ैर सरकारी एजंसियों द्वारा प्रदत्त सहायता प्राप्त कर सकते है, जिसमें परामर्श, दुभाषिये, आपात् आवास, और यहाँ तक कि धन सहायता भी शामिल हो सकती है. नीचे दिये गये राष्ट्रीय टेलीफ़ोन नंबरों या "हॉट लाइंज़" पर पीड़ितों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित प्रचालक चौबीसों घंटे नि:शुल्क मौजूद रहते हैं. दुभाषिये उपलब्ध होते हैं और ये नम्बर आपका संपर्क आपके स्थानीय इलाके में पीड़ितों की मुफ़्त सेवा करने वाली संस्थाओं से करा सकते हैं, जिनमें अपात् आवास, चिकित्सा सेवा, परामर्श, और क़ानूनी सलाह शामिल है. यदि आप वकील की फ़ीस नहीं दे सकते तो आप आप्रवासी अपराध या घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए मुफ़्त या कम-ख़र्च क़ानूनी सहायता कार्यक्रम का लाभ उठाने के योग्य हो सकते हैं.

राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉट-लाइन
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
1-800-787-3224 (TTY) www.ndvh.org

बलात्कार, दुर्व्यवहार और कौटुम्बिक व्यभिचार नैटवर्क (RAINN) की राष्ट्रीय यौन-प्रहार हॉट-लाइन
1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)
www.rainn.org

लापता और शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र
1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)
www.missingkids.com

अपराध पीड़ितों के लिए रष्ट्रीय केन्द्र
1-800-FYI-CALL (1-800-394-2255)
1-800-211-7996 (TTY)
www.ncvc.org

नोट: ये ऐसे संगठन हैं जिनका मूल उद्देश्य है सुरक्षा और संरक्षण.

यदि मैं घरेलू हिंसा, यौन प्रहार, या अन्य अपराध का शिकार हूं, तो मेरे लिए आप्रवास के क्या विकल्प हैं?

जो आप्रवासी घरेलू हिंसा, यौन प्रहार और किसी अन्य विशिष्ट अपराध का शिकार बन जाते हैं उनके लिए अपने और अपने बच्चे(बच्चों) के लिए आप्रवासी दर्जे का आवेदन देने के तीन तरीके हैं. पीड़ित का आवेदन गोपनीय होता है और आपको प्रताड़ित करने वाले, अपराध करने वाले, या परिवार के सदस्य सहित किसी को भी यह नहीं बताया जाएगा कि आपने आवेदन दिया है.

- नारियों के विरुद्ध हिंसा अधिनियम (VAWA) के तहत स्व-याचिकाएं
- VAWA के तहत निष्कासन को रद्द करना
- U-ग़ैरआप्रवासी दर्जा (अपराध पीड़ित)

इन आप्रवास लाभों में से हरेक के लिए विशिष्ट शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए. ये आप्रवास लाभ आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं या कैसे आपकी मदद कर सकते हैं इस बारे में किसी ऐसे आप्रवास वकील से सलाह कीजिए जो घरेलू हिंसा के शिकार लोगों के साथ काम करता हो.

विवाह आधारित आप्रवास प्रक्रिया कैसे काम करती है?

विवाह–आधारित आप्रवास प्रक्रिया के तहत अमेरिका में वैध आप्रवास दर्जा प्राप्त करने, और समय बीतने के साथ, राष्ट्रिकता प्राप्ति के योग्य बनने की प्रक्रिया के कई चरण हैं. ये चरण इस पर निर्भर करते हैं कि आप विवाह-आधारित किस तरह के वीज़ा पर अमेरीका आते हैं, और साथ ही कुछ अन्य तत्वों पर भी. निम्न सूचना इस तरह के वीज़ाओं में से कुछ का सार प्रस्तुत करती है, और साथ ही आपके क़ानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देती है.

K-1 ग़ैरआप्रवासी दर्जा (अमेरिकी राष्ट्रिक के प्रेमी(प्रेमिका) के रूप में): आपके लिए यह ज़रूरी है कि अमेरिका प्रवेश के 90 दिन के भीतर उस अमेरिकी राष्ट्रिक से शादी कर लें या अमेरिका से चले जाएं. जिस अमेरिकी राष्ट्रिक प्रेमी(प्रेमिका) ने आपके लिए याचिका दी थी उसके साथ विवाह के बाद, आपको स्थायी रिहायश रजिस्टर करने के लिए आवेदन या दर्जा समायोजन (फ़ॉर्म I-485) दर्ज करना होगा. यदि आपका फ़ॉर्म I-485 स्वीकृत हो जाता है, तो आपका दर्जा K ग़ैरआप्रवासी से बदल कर सशर्त स्थायी निवासी में तबदील कर दिया जायेगा. आपका यह सशर्त दर्जा दो वर्ष तक बना रहेगा.

जिस अमेरिकी राष्ट्रिक ने आपका K-1 वीज़ा स्पौंसर किया था, यदि आप उससे शादी किए बिना अमेरिका में रहते हैं, या किसी और से शादी कर लेते हैं, तो आप अपने वीज़ा की

शर्तों का उल्लंघन करेंगे, आपका कोई क़ानूनी दर्जा नहीं होगा, और आपके ख़िलाफ़ निष्कासन कार्रवाई की जा सकती है या अन्य दंड दिया जा सकता है.

K-3 गैरआप्रवासी दर्जा (अमेरिकी राष्ट्रिक के पति-पत्नी के रूप में): आपको अस्थायी तौर पर अमेरिका में प्रवेश की इजाज़त दी जाती है जबकि आप परिवार–आधारित वीज़ा (I-130) याचिका के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. एक बार जब I-130 का अनुमोदन हो जाए, तो आप वैध स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के हक़दार बन जाते हैं और आपको स्थायी निवास रजिस्टर करने का या दर्जा समायोजन (फ़ॉर्म I-485) का आवेदन देना होगा.

विवाह-आधारित आप्रवास दर्जा प्राप्त करने वाले अन्य सभी लोगों को उस सूचना पर ध्यान देना चाहिये जो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा उन्हें दे गई हो. अतिरिक्त सूचना ऑन-लाइन http://www.uscis.gov . पर प्राप्त की जा सकती है.

विवाह सम्बन्धी छल-कपट के लिये क्या सज़ाएं हैं?

जो आप्रवासी विवाह सम्बन्धी छल-कपट करते हैं उनके ख़िलफ़ निष्कासन कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें अमेरिका में भविष्य में आप्रवास लाभों से वंचित किया जा सकता है. विवाह सम्बन्धी छल-फ़रेब साबित हो जाने पर पांच वर्ष तक का कारावास और 250,000 डॉलर (अमेरिकी मुद्रा) तक का जुर्माना हो सकता है.

यदि मेरा एक अमेरिकी राष्ट्रिक से विवाह हुआ है जिसने मेरी ओर से आप्रवास दस्तावेज़ दाख़िल किए हैं, तो मेरा आप्रवास दर्जा क्या है?

जब आपके फ़ॉर्म I-485 का अनुमोदन हुआ तब यदि आपके विवाह को 2 वर्ष से कम समय हुआ था, तो आपको अमेरिका के राष्ट्रिकता एवं आप्रवास सेवा विभाग USCIS से सशर्त निवास का दर्जा प्राप्त होगा. आपके सशर्त निवास की दूसरी वर्षगांठ से 90 दिन पहले, सामान्यत: आप और आपके पति-पत्नी को संयुक्त रूप से आपके वैध निवास पर से शर्त हटा लेने के लिए आवेदन देना होता है. ऐसा करने के लिए आपको यह सिद्ध करना होगा कि आपका विवाह "नेक नियत" है और वैध है. जब एक बार शर्तें हटा दी जाती हैं, तो अमेरिका में आपकी स्थायी रिहायश आपके अमेरिकी पति-पत्नी पर निर्भर नहीं रहती.

यदि उस समय तक आपके विवाह को 2 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हों जब आपके फॉर्म I-485 का अनुमोदन होता है, तो आपको USCIS से स्थायी निवास का दर्जा प्राप्त हो जाएगा. उस तारीख़ से आप आप्रवासी दर्जे के लिए अपने अमेरिकी राष्ट्रिक पति-पत्नी पर निर्भर नहीं रहेंगे.

ऐसी तीन परिस्थितिय़ां हैं जब क़ानून सशर्त निवासियों को इस पाबन्दी से छूट देने के अनुरोध का विकल्प देता है कि शर्तें हटाने के लिए आप और आपका पति-पत्नी संयुक्त रूप से आवेदन दें. 1) सशर्त निवासी के अमेरिका से निष्कासन के परिणाम में अत्यधिक दु:ख-तकलीफ़ होगी; या 2) विवाह का वैध रूप से अंत हुआ, मृत्यु को छोड कर, और उसके दर्जे के शर्त–आधार को हटाने के लिए उचित समय पर आवेदन दर्ज न करने में आवेदक का कोई दोष नहीं था; या 3) विवाह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रिक अथवा वैध स्थायी निवासी पति-पत्नी ने सशर्त निवासी को मार-पीट या अत्यधिक क्रूरता का निशाना बनाया. छूट के तीनों ही आवेदन फॉर्म I-751 पर दाख़िल किए जाते हैं और आपको यह सिद्ध करना होता है कि आपका विवाह "नेक नियत" था और कोई छल-फरेब नहीं था.

अमेरिका की सरकार विदेशी प्रेमी-प्रेमिकाओं और पति-पत्नी को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने और उनकी तथा उनके बच्चों की दुर्व्यवहार से हिफ़ाज़त के प्रयास में और क्या उपाय अपनाती है?

सन् 2005 का अंतर्राष्ट्रीय विवाह दलाल नियमन क़ानून (IMBRA) अमेरिका का ऐसा क़ानून है जिसने विदेशी प्रेमी-प्रेमिका और पति-पत्नी की सहायता करने के लिये अमेरिका की विवाह-आधारित आप्रवास प्रक्रिया को बदल दिया है. IMBRA यह आदेश देता है कि अमेरिका सरकार आप्रवास करने वाले विदेशी प्रेमी-प्रेमिका और पति-पत्नी को सूचना और स्व- सहायता के ऐसे औज़ार उपलब्ध कराये जिनसे वे उन जीवन-साथियों के हाथों हिंसा से अपनी हिफ़ाज़त कर सकें जिन्होंने उनके वीज़ा स्पौंसर किये थे. आप्रवास करने वाले प्रेमी-प्रेमिका और पति-पत्नी अक्सर अमेरिकी क़ानूनों से अपरिचित होते हैं और घर में हिंसा से बचने के लिए उन्हें परिवार या मित्रों का सहारा प्राप्त नहीं होता.

IMBRA के तहत यह ज़रूरी था कि यदि आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उन क़ानूनों और सेवाओं के बारे में आपको बताने के लिए जो अमेरिका में आपकी मदद कर सकते हैं, यह पुस्तिका लिखी और वितरित की जाए. IMBRA अमेरिकी राष्ट्रिकों को, यदि उनका हिंसक अपराधों का इतिहास रहा है तो, विदेशी प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए बहुलित वीज़ा स्पौंसर करने से रोकता है. IMBRA के तहत अमेरिका सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि वह अमेरिकी राष्ट्रिकों के विदेशी प्रेमी-प्रेमिकाओं और पति-पत्नियों को वीज़ा स्पौंसरशिप आवेदन के साथ उस आपराधिक पृष्ठभूमि जांच की एक प्रति भी दे, वीज़ा स्पौंसर करने वाले अमेरिकी राष्ट्रिकों की जो जांच USCIS करता है.

अमेरिका सरकार "अंतर्राष्ट्रीय विवाह दलालों" का नियमन कैसे करती है?

यदि कोई एजंसी "अंतर्राष्ट्रीय विवाह दलाल" के योग्य है, तो यह ज़रूरी है कि वह आपसे सम्पर्क चाहने वाले अमेरिकी ग्राहक के बारे में आपको पृष्ठभूमि जानकारी दे जिसमें संघीय और राज्यों की यौन-अपराधी सार्वजनिक रजिस्ट्रियों में दर्ज सूचना शामिल है, और अमेरिकी ग्राहक को आपकी सम्पर्क सूचना देने से पहले आपकी लिखित अनुमति प्राप्त करे. एजंसी के लिए आपको यह पुस्तिका देना भी आवश्यक है. यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो उसे आपके साथ कोई

भी कारोबार करने की मनाही है.

क्या मैं अपने अमेरिकी राष्ट्रिक प्रेमी-प्रेमिका या पति-पत्नी के बारे में आपराधिक पृष्ठभूमि जानकारी पर भरोसा कर सकता हूं?

एजंसी जो आपराधिक पृष्ठभूमि सूचना एकत्र करती है वह विविध सार्वजनिक स्रोतों, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रिक ग्राहकों द्वारा आप्रवास आवेदनों में दी गई जानकारी से प्राप्त होती है. USCIS को अमेरिका में अपराध इतिहास के सभी आंकडा-गृहों तक पहुंच हांसिल नहीं है. यह भी हो सकता है कि स्पौंसर करने वाले अमेरिकी राष्ट्रिक ने स्पौंसरशिप आवेदन में सच्चाई न बताई हो. यह भी सम्भव है कि अमेरिकी राष्ट्रिक का दुर्व्यवहार का इतिहास रहा हो लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया या दोष सिद्ध नहीं हुआ. इसलिए, जो आपराधिक पृष्ठभूमि जानकारी आपको मिलती है, हो सकता है वह सम्पूर्ण न हो. IMBRA का मंतव्य है आप्रवास कर रहे प्रेमी-प्रेमिका और पति-पत्नियों को उपलभ्य सूचना और साधन मुहैया कराना. अंततः यह निर्णय करना कि आप इस सम्बन्ध में सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं आपकी ज़िम्मेदारी है.

क्या विदेशी प्रेमी-प्रेमिका या पति-पत्नी जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, वे मानव तस्करी का भी शिकार हो सकते हैं?

घरेलू हिंसा के साथ कभी-कभी मानव तस्करी सहित अन्य प्रकार के शोषण भी हो सकते हैं, जबकि शोषण में ज़बर्दस्ती या बाध्यकारी श्रम, सेवाएं, या व्यापारिक यौन क्रियाएं शामिल हों.

मानव तस्करी के बारे में सहायता निम्नलिखित पर प्राप्त की जा सकती है:

राष्ट्रीय मानव तस्करी साधन केन्द्र
1-888-373-7888
(सातों दिन,चौबीसों घंटे)
http://www.acf.hhs.gov/trafficking/

मानव तस्करी एवं श्रमिक शोषण कार्य बल हॉट लाइन, अमेरिकी न्याय विभाग
1-888-428-7581
(सोमवार से शुक्रवार, प्रात: 9 से सायं 5 तक)
http://www.usdoj.gov/crt/crim/tpwetf.php

और जानकारी हमारी वेबसाइट पर या निम्नलिखित नि:शुल्क नम्बर पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है.

USCIS सामान्य जानकारी

अमेरिका में निम्न नम्बर पर नि:शुल्क प्राप्त करें :

1-800-870-3676 या

हमारी इंटरनैट वेबसाइट पर देखें:

http://www.uscis.gov